



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1347]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2008/आश्विन 2, 1930

No. 1347]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2008/ASVINA 2, 1930

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

का.आ. 2262(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं. 20) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नामित करती है :

1. श्रीमती निर्मला वेंकटेश,
19, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011
2. श्रीमती वान्सुक साइलेम,
मार्किटी लॉज-64, मदनरिंग, शिलांग, मेघालय-793021

2. श्रीमती निर्मला वेंकटेश तथा श्रीमती वान्सुक साइलेम, पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगी।

[सं. 9-2/2008-डब्ल्यू डब्ल्यू]

किरण चड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND
CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2008

S.O. 2262(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990) the Central Government hereby nominates the following persons as Members of National Commission for Women :

1. Smt. Nirmala Venkatesh, 19, South Avenue,
New Delhi-110011
2. Mrs. Wansuk Sylem, Markynti Lodge-64,
Madanring, Shillong, Meghalaya-793021

2. Smt. Nirmala Venkatesh and Mrs. Wansuk Sylem shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[No. 9-2/2008-WW]

KIRAN CHADHA, Jt. Secy.